

02-01-25

आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. D.O.No.F.2-71/2022(CPP-II)(C-114546) Dated 12 June, 2024 द्वारा निर्देशित नियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश के उपरान्त जमा शुल्क वापसी एवं समायोजन प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था प्रभावी की जाती है :-

1. यू.जी.सी. के आदेश क्र. D.O.No.F.2-71/2022(CPP-II) Dated 03 July, 2023 के आदेश क्र. में पूर्व से जारी शुल्क वापसी एवं समायोजन सम्बन्धी समस्त आदेश निष्प्रभावी होंगे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार शुल्क वापसी की जायेगी -

Category	Percentage of Refund of Fees	Point of Time when notice of withdrawal of admission is received in the HEI
1	100%	15 days or more before the formally notified last date of admission.
2	90%	Less than 15 days before the formally notified last date of admission
3	80%	15 days or less after the formally notified last date of admission
4	50%	30 days or less, but more than 15 days after formally notified last date of admission.
5	00%	More than 30 days after formally notified last date of admission.

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष
2. लेखा विभाग
3. कुलसचिव कार्यालय
4. मा. कुलगुरु के निजी सचिव
5. प्रभारी, आई.टी.सेल को इस आशय के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डलवाये सम्बन्धित पत्रावली ।

phamasis 23/12/24
प्र.उपकुलसचिव(अकादमी)